BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 394/2022

IN THE MATTER OF:
PUSHPENDRA KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KADURA

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT OF PRINCIPAL SECRETARY/ ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 19.11.2024 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	TRUE COPY OF GOVERNMENT ORDER NO. 1202/37-2-2024-5.(53)/2018 DATED 5TH JUNE 2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE 1.**	
3.	A COPY OF LETTER DATED 03.12.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE 2.**	
4.	A COPY OF LETTER DATED 28.10.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE 3.**	

THROUGH

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 05.12.2024
PLACE: NOIDA

AFFIDAVIT 2024
02A2234

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 394/2022

IN THE MATTER OF:

PUSHPENDRA KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KADURA

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT OF PRINCIPAL SECRETARY/ ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 19.11.2024 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL

I, K.Ravinder Naik, aged about 59 years, S/o Sri Hukya Naik, posted as Principal Secretary, Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. I, K.Ravinder Naik, Principal Secretary, Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That in the present matter, the Applicant by way of the present application seeks judicial intervention to ensure the enforcement of environmental guidelines and standards in Gaushalas and slaughterhouses within District Jalaun. It calls for the provision of basic facilities and the

implementation of pollution control measures in government-run Gaushalas, along with the imposition of environmental compensation for non-compliance.

3. Additionally, the petition emphasizes the need for a ban on illegal slaughterhouses and the enforcement of environmental norms in licensed ones. To ensure accountability, the petition requests the formation of an oversight committee to monitor and ensure compliance with these measures.

4. That the Hon'ble Tribunal in the present matter directed the Additional Chief Secretary, Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh to take action to address the issues raised by the Applicant and file a report for the same. The directions issued by the Hon'ble Tribunal are as follows:

   "...48. We direct the State of Uttar Pradesh through Chief Secretary and Additional Chief Secretary, Animal Husbandry Department, Government of Uttar Pradesh:-

   (i) to explore the possibility of setting up and running of gaushalas which can accommodate 2000-3000 cows by Gram Panchayats by identifying/allocating suitable grazing lands available with Gram Panchayats for this purpose or seeking expression of interest from NGOs, Societies/Farmers, Associations/Unions of Farmers or Environmental/Social Activists, Corporate Bodies for participation in setting up of gaushalas which can accommodate 2000-3000 or more cows and proper operation and maintenance of the same so as to make the same self sustaining as far as possible or with subsidy as per Uttar Pradesh Government Schemes already issued or with CSR funds by corporate bodies or by adopting

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

schemes successfully operating in other State(s) or following model adopted by any of the NGOs, Societies/Farmers, Associations/Unions of Farmers or Environmental/Social Activists, Corporate Bodies;

(ii) to ensure implementation of and compliance with the Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas issued by CPCB and Manual on Management of Gaushalas issued by ICAR;

(iii) to ensure implementation of and compliance with the recommendations made by the Joint Committee and the Oversight Committee reproduced in earlier part of this order;

(iv) to review all Gaushalas/Nirashrit Goashray Sthals in the State of Uttar Pradesh and close all Gaushalas/Nirashrit Goashray Sthals which do not meet siting criteria, requirement of land and infrastructure or are not complying with the Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas issued by CPCB and Manual on Management of Gaushalas issued by ICAR and environmental norms;

v) suitably modify its policy to make Gaushalas/Nirashrit Goashray Sthals permanent so that the tag of the same being temporary /make shift arrangement does not prevent compliance and justify noncompliance with the Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas issued by CPCB and Manual on Management of Gaushalas issued by ICAR and environmental norms and to file report in this regard within three months.

5. That in compliance of the above directions issued by the Hon'ble Tribunal, the Deponent has taken the necessary steps as stated below.

Oath Commissioner, Civil Secretariat, Lucknow

6. That with regards to the setting up and running of Gaushalas, **the Government has sanctioned 543 large-scale cattle protection centres with a capacity of 400 cows each (unit construction cost 160.12 lakh), out of which 334 centres have been made operational.** Furthermore, the Department is also engaged in various activities to make these centres self-sustaining by application of suitable measures such as the installation of biogas/CBG plants and the production of various products from cow dung and urine, including pots, diyas, incense sticks, cow paint, vermicompost, Panchgavya, and golag.

7. That it is further submitted that in collaboration with the National Dairy Development Board (NDDB/NDS), **a 5000-cow capacity cattle protection center has been established at Tughlaqpur village in Muzaffarnagar.** Additionally, cattle shelter sites have been identified in six other districts—Mathura, Lalitpur, Kanpur Nagar, Ayodhya, Gautam Buddha Nagar, and Agra—for setting up CBG units with the assistance of NDDB/NDS/MRID. The operation and management of both permanent and temporary cattle shelters in rural and urban areas are being carried out by local bodies and, under MoUs, by NGOs in 119 sites.

8. That in Jalaun district, there are total of 415 Gaushalas, of which 2 are run by NGOs, the rest are managed by Gram Panchayats/Urban Local Bodies. With regard to the Goshrayas, 381 are temporary Goshrayas with 39,884 cattle, 7 Kanha Goshrayas housing 2,294 cattle, and 18 Kanji Houses with 245 cattle. The district has 4 large-scale cattle protection centres housing 2,359 cattle, making a total of 44,782 cattle protected across the 410 Goshrayas. For better supervision of cattle shelter, CCTV cameras have been installed in 285 Goshrayas in Jalaun. Additionally, in

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariat

District Jalaun, a total of 09 large-scale cattle conservation centres have been approved, out of which 04 are operational, and 05 new large-scale cattle shelter centres are under construction. Land acquisition for the construction of the new large-scale cattle shelters is underway.

9. That according to the revenue records in the state, a total of 37,156.79 hectares of encroachment-free grazing land is available. On this grazing land, the sowing of berseem and oats, and planting of hybrid napier grass has been undertaken. The green fodder produced from the grazing land is being supplied to the cattle shelters.

10. That for implementation and compliance with the Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) and the Manual on Management of Gaushalas issued by ICAR, the State, through Government Order No. 2104(1)/37-2-2023 dated 30.08.2023, clarified that stray cattle shelters are welfare-oriented facilities intended for the basic sustenance of stray cattle, not commercial operations. Consequently, as per CPCB guidelines, obtaining an NOC is not mandatory for setting up such shelters, unlike dairy farms or commercial establishments. The directions issued by the Government was in resonance of guidelines issued by the CPCB in July, 2020.

11. That regarding the establishment and management of temporary cattle shelters (which are always removable), the local authorities will be responsible for their management and operation. Specific tasks in line with the government policy notified by the order dated 02.01.2019, and the subsequent guidelines issued on 28.01.2019, the identification of land and its levelling for cattle shelters, provision of drinking water, lighting,

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

environmental management, and arrangements for the disposal of dead cattle have been assigned to the relevant departments.

12. That in the context of the guidelines issued by the CPCB and ICAR, the environmental management measures for stray cattle shelters established and operated in the state for the protection and care of stray cattle are specified in government order No. 2104 / 37-2-2023 dated 30.08.2023. The measures are stated as below:

(i) **Solid Waste Management:**

Regular removal of cow dung should be carried out at each Gaushala, and cleanliness of the floors must be ensured. The areas around the Gaushala should also be cleaned to prevent any unwanted odors. Bio-medical waste produced at the Gaushalas (such as vaccine, empty medicine vials, syringes, etc.) should be taken by the veterinary officer and disposed of according to the guidelines of the Central Pollution Control Board (CPCB) under the "Solid Waste Management Rules 2016. Additionally, Cow dung and leftover fodder produced at the Gaushalas should not be drained along with wastewater.

(ii) **Water Waste Management:**

Wastewater from cow urine, animal cleaning, and floor washing should be collected in a pit and used for irrigation in the pasture. The use of water for floor cleaning at the Gaushalas should be regulated, and wastewater should be disposed of in such a manner that it does not contaminate underground water. The floor of the Gaushala should never

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

be slippery, as slippery floors pose a risk of slipping for the animals.

(iii) Air Quality Management:

The shed should be ventilated and constructed along an east-west axis to ensure the humidity is appropriate and to prevent the accumulation of gases like methane, carbon dioxide, and ammonia in the Gaushala. The number of animals in the shed should never exceed the shed's capacity. A green belt should be developed around the Gaushala. The arrangement for fodder, grains, etc., should be made according to the guidance from Agricultural Science Centers, Animal Husbandry Department, and the National Dairy Development Board (NDDB).

(iv) Siting Policy:

Gaushalas should be located at least 100 meters away from residential complexes, health centers, hospitals, and schools. It should also be ensured that the Gaushala is at least 200 meters away from ponds, lakes, and major water sources. There should be at least 5 meters of distance between the sheds at the Gaushala, and a green belt should be developed in between.

(v) Other Points:

Fodder, clean drinking water, proper lighting, and well-ventilated spaces should be available for the shelter of stray cattle. Interlocking should be installed at resting areas for the

Oath Commissioner ★ Lucknow ★ Civil Secretariat

cattle at the Gaushala. Shade trees should be planted at the Gaushalas to provide cows with areas for resting.

13. That with regards to the implementation of and compliance with the recommendations made by the Joint Committee and the Oversight Committee, it is humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that Government orders have been issued regularly for the protection of the cattle in the Gaushalas during summer, monsoon, and winter, and monitoring is also done by nominating nodal officers at the state level since 2019. Reports have been received from these officers, and deficiencies as per the reports have been addressed. All Gaushalas are equipped with the necessary infrastructure, including sheds, drainage, vermi-composting, etc. It is ensured by the nominated nodal officers that balanced feed and clean drinking water is available at all Gaushalas. Temporary Gaushalas do not come under the guidelines set by CPCB and ICAR. The standard operating procedure (SOP) for health checks and treatment of the cattle has been set through Government Order No. 1202/37-2-2024-5 (53)/2018, dated 5th June 2024. Veterinary services are regularly provided, and doctors are assigned for better treatment of cattle. Regular health checks and treatments are being conducted at the Gaushalas through mobile veterinary units. Sick or disabled cattle are kept separately for special care.

True copy of Government Order No. 1202/37-2-2024-5 (53)/2018 dated 5th June 2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE 1.**

14. That it is additionally submitted before the Tribunal that Regular reviews of stray cattle protection programs and Gaushalas have been carried out, and monitoring of operations and management has been ensured through

Oath Commissioner ☆ Civil Secretariat ☆ Lucknow

regular reports from designated nodal officers. The State Government, through coordinated efforts of the Animal Husbandry Department, Rural Development Department, Revenue Department, Panchayati Raj Department, and Urban Development Department, has periodically undertaken campaigns for the protection of stray cattle. Campaigns have been initiated for the preservation of all remaining unowned cattle through Government Order No. 2562/37-2-2023-5(53)/2018 T.C.-5, dated 31.10.2023, and Government Order No. 1469/37-2-2024-5(53)/2018 T.C.-5, dated 04.07.2024.The Government continues to run various campaigns for the protection of stray cattle and Gaushalas, with the latest such campaign running from 7th December 2024 to 14th December 2024, with a goal of fully protecting stray cattle.

15. To prevent road accidents, directives have been issued under Government Order No. 2102/37-3-2024-5(53)/2018 T.C.-5, dated 07.10.2024, for the application of reflective radium collars around the necks of bovines owned by livestock keepers in villages near highways. This measure aims to reduce the risk of accidents caused by bovines wandering onto roads during nighttime. Additionally, in light of the lack of year-round availability of green fodder, instructions for the use of silage (fermented, high-moisture fodder) as an alternative have been issued under **Government Order No. 2145/37-2-2024-5(53)/2018 T.C.-5, dated 22.10.2024**. The use of silage as fodder has been shown to yield positive results for the health of protected cattle's. Consequently, silage is being adopted as a substitute for green fodder at cow shelter facilities to improve the health of conserved bovines.

16. That with regards to the review of all the Gaushalas/ Nirashrit Goashray Sthals, permanent or temporary Gaushalas are continuously being

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

established for the protection of stray cattle in all districts of the state. Gaushalas are not commercial enterprises but shelters as per the guidelines issued by the CPCB in July, 2020, where the minimum needs of protected cattle are met.

17. That it would also be appropriate to inform here that water samples from areas within a radius of 500 meters around the 54 cow shelter sites operating in District Jalaun were tested as per **Letter No. 347/ST-CDO/Miscellaneous/2023-24, dated 27.07.2023**, issued by the Chief Development Officer, Jalaun. The water testing report found that water at none of the locations was polluted. Furthermore, BOD (Biochemical Oxygen Demand) and COD (Chemical Oxygen Demand) tests of all 54 cow shelter sites were conducted, and the results were found to be within permissible limits. These Gaushalas do not significantly impact the local water and air quality, as confirmed by water testing reports from Jalaun District, where no contamination was found. This has been corroborated by the water testing report submitted by the Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural), Jalaun (Orai), vide **Letter No. 2213/M-16/20, dated 28.07.2023**, which clearly indicates that there is no likelihood of any adverse impact on the water or air environment in the district due to the operation and establishment of destitute cow shelter sites.

18. That to ensure that the "temporary/makeshift arrangement" of Gaushalas/Nirashrit Goashray Sthals does not hinder compliance with CPCB and ICAR guidelines, Through the letter issued by the office of the Director (Administration and Development), Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh, Lucknow, bearing number 3217/सॉं-2/NGT/2024-25, dated 03.12.2024, detailed guidelines have been issued to all districts of the state for ensuring compliance with the order dated

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

13.08.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal. These guidelines aim to implement cow protection and management in the stray cow shelters in accordance with environmental regulations and to ensure compliance with government orders issued from time to time.

A copy of letter dated 03.12.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE 2.**

19. That furthermore, through Government Order No. 2179/37-2-2024-5(53)/2018 TC-5, dated 28 October 2024, instructions have been issued for providing practical training to cow caretakers/laborers working in cow shelters regarding the upkeep, nourishment, and management of the cattle.

A copy of letter dated 28.10.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE 3.**

20. That it is humbly submitted that for the compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal, comprehensive instructions have been issued by the state government and necessary steps have also been taken to further ensure compliance with environmental norms and the management of stray cattle in the state.

21. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

22. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 05th day of December, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 22 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

05.12.24
चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–8 (लेखा)
उ०प्र० शासन।

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

क्रम 0212234
द्वारा शपथ की गई K. Ravinder Naik, Principal Secretary
जिनका परिचय श्री Satyawan Singh, Joint Secretary
दिनांक 05.12.24 समय 12-12 P.m.
वाद संख्या 394/2022
पक्षकार Pushpendra Kumar Vs. BDO, Kadura
न्यायालय National Green Tribunal
की फीस वसूल गई yes.

5-12-2024
I-IDENTIFY THE DEPONENT
WHO HAS SIGNED BEFORE ME

Satyawan Singh
Joint Secretary
Animal Husbandry Section-2
U.P. Secretariat

ANNEXURE 1

संख्या–1202 / 37–2–2024–5(53) / 2018 टीसी–

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊ :: दिनांक 05 जून मई, 2024

विषय–प्रदेश के गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवशों के स्वास्थ्य परीक्षण (Healtl Check-up) एवं उपचार के संबंध में मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी) का निर्धारण किः जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं भरण–पोषण शीर्ष प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इ हेतु प्रदेश में स्थापित गो आश्रय स्थलों में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के निर्देशानुसार लू के दृष्टिगत मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था किये जाने ह शासनादेश संख्या 729 / 37–2–2024 दिनांक 09.04.2024 निर्गत किया गया है। वर्तमान समय भीषण गर्मी एवं लू के प्रकोप से बचाव हेतु गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवशों का स्वास्थ्य परीक्षण (Health Check-up) एवं उपचार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैः–

1388/PA/DAH/05-06-24
सं॰ नि॰ (गोशाला)

(1) प्रत्येक गो आश्रय स्थल में नामित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशुधन प्रसार अधिकारी त पैरावेट के साथ सप्ताह में कम से कम दो बार गोवंशो का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए।

(2) भ्रमण के समय संरक्षित गोवंशो के स्वास्थ्य का सामान्य आकंलन करने हेतु निम्नलिखि लक्षणों / परीक्षणों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएः–

(क) गोवंश की सामान्य रूप से चैतन्यता की स्थिति।
(ख) थूथन / मजल पर नमी की स्थिति।
(ग) आंखे लाल या आंखो से असामान्य स्राव की स्थिति।
(घ) गोवंश की चाल कैसी हैं (stumbling, lameness, uncontrolled movements) अथवा झुण् से अलग सुस्त एवं एकाकी होने की स्थिति।
(ड) शरीर पर वाह्रय परजीवी के प्रकोप की स्थिति।
(च) गोवंश का व्यवहार असामान्य रूप से उत्तेजित या सुस्त पाये जाने की स्थिति।
(छ) गोवंश के मूत्र का रंग तथा गोबर असामान्य तो नहीं है यदि गोबर गीला है तो परजीवी परीक्षण / जांच हेतु माइक्रोस्कोपी फीकल एग्जामिनेशन किया जाए।
(ज) वाह्रय लिम्फ नोड का आकार असामान्य पाये जाने की स्थिति।
(झ) त्वचा की चमक तथा नमी / प्लाईबिलटी की स्थिति।
(य) गोवंश का शारीरिक तापमान (बाड़ी टेम्परेचर) सामान्य है अथवा नहीं ,तापमान रिकार्ड व अंकित किया जाए।

5-6-2024

श्री नंगी
6-6-24

(3) उपरोक्त परीक्षणों के आधार पर बीमारी का प्रकार तथा गोवंश की शारीरिक स्थिति अनुसार उपचार की रणनीति (line of treatment) निर्धारित की जाए। वर्तमान में असामान्य वातावरणीय तापक्रम हीटवेव / लू के दृष्टिगत डिहाइड्रेशन का भी ध्यान दिया जाः

5(53)18TC-2 SY

चाहिए। उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार जांच में पाये गये असमान्य लक्षणों तथा रोग निद संबंधी विवरण उपचार पंजिका मे अवश्य दर्ज किया जाए।

(4) कमजोर, कुपोषित तथा अशक्त गोवंशो को अलग रखकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए । टैग के साथ विवरण पंजिका में अंकित किया जाए।

(5) घायल एवं चोटग्रस्त गोवंश की मरहम पट्टी नियमित रूप से की जाए जिससे घाव कीड़े/मैगट का प्रकोप न हो।

(6) बीमार गोवंश के उपचार का विवरण टैग न0 सहित उपचार पंजिका में तिथिवार अंकि किया जाए तथा गो आश्रय पोर्टल पर भी उपचारित पशु का टैग न0 अंकित किया जाए

(7) समस्त संरक्षित गोवंश को वर्ष में कम से कम दो बार कृमि नाशक दवा पान कराया जाए

(8) गोवशों को दस्त/डायरिया की समस्या होने पर कृमि नाशक उपचार के उपरान्त उन आहार तथा सहायक उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(9) संरक्षित गोवंशो का शतप्रतिशत टीकाकरण (एफ0एम0डी/एच0एस/एल0एस0ड टीकाकरण किया जाए।

(10) गोवंशो को दिये जाने वाले हरे चारे की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। विशेषत पर चरी तथा बाजरा को खिलाते समय विशेष ध्यान दिया जाए। इस प्रकार के हरे च को भूसे के साथ 7 एवं 3 के अनुपात मे मिंलाकर खिलाया जाए जिस नाइट्रेट/नाइट्राइट/ हाइड्रोजन साइनाइड की विषाक्तता न होने पाये।

(11) नमी अथवा फफूंदी युक्त पुआल व भूसा किसी भी दशा में आहार में सम्मिलित न हो पाए।

(12) उपचार के दौरान किन्ही परिस्थितियों मे यदि गोवंश की मृत्यु हो जाती है तो श निस्तारण निर्धारित मानको के अनुसार कराया जाए तथा गो आश्रय स्थल पर भी टैग र सहित गोवंश की मृत्यु अंकित की जाए।

(13) गंभीर संक्रामक बीमारियों यथा (एफ0एम0डी/एच0एस/एल0एस0डी) के लक्षण मिलने प्रभावित गोवंशों को तत्काल आइसोलेट करायें तथा नये गोवंश का संरक्षण गो आश्र स्थल में प्रतिबंधित किया जाए।

(14) गो आश्रय स्थलों पर भ्रमण के समय संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार सभी बिन्दुओं निरीक्षण अवश्य केन्द्रित किया जाए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक उप मुर पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी को चेक लिर उपलब्ध करायी जाय तथा गो आश्रय स्थल पर भी रखवायी जाय।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के गो आश्रय स्थलों संरक्षित निराश्रित गोवंशों का उपर्युक्तानुसार स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार कर, (Health check-u रिपोर्ट (संलग्न) गो आश्रय पोर्टल https://up.goashray.in पर अपलोड कराते हुये, आवश्य कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

5(53)18TC-2 SY

गोवंश स्वास्थ्य परीक्षण (health check-up) चार्ट

क्र0सं0	चेक बिन्दु	विवरण
1	गोवंश टैग न0;sex,age	
2	सामान्य शारीरिक स्थिति (Weak/ Debilitated/ prostration/ Emaciated/ Injured/senile)	
3	गोवंश की सामान्य रूप से चैतन्यता (alertness)की स्थिति	
4	थूथन/मजल पर नमी की स्थिति	
5	आंखे लाल या आंखो से असामान्य स्राव की स्थिति	
6	गोवंश की चाल कैसी हैं (stumbling, lameness, uncontrolled movements) अथवा झुण्ड़ से अलग सुस्त एवं एकाकी होने की स्थिति	
7	शरीर पर वाह्य परजीवी के प्रकोप की स्थिति	
8	गोवंश का व्यवहार असामान्य रूप से उत्तेजित या सुस्त पाये जाने की स्थिति	
9	गोवंश के मूत्र का रंग तथा गोबर असामान्य तो नहीं है यदि गोबर गीला है तो परजीवी के परीक्षण/जांच हेतु माइक्रोस्कोपी फीकल एग्जामिनेशन किया जाए (परिणाम लिखें)	
10	वाह्य लिम्फ नोड का आकार असामान्य पाये जाने की स्थिति	
11	त्वचा की चमक तथा नमी/प्लाईबिलटी की स्थिति	
12	गोवंश का शारीरिक तापमान (बाड़ी टेम्परेचर) सामान्य है अथवा नहीं, तापमान रिकार्ड कर अंकित किया जाए	
13	सम्भावित बीमारी/डायग्नोसिस	
14	दिये गये उपचार का विवरण (तिथिवार अंकित किया जाय)	

ANNEXURE 2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक-3217/सामा0-2/एन0जी0टी0/2024-25 दिनांक-03 दिसम्बर, 2024

विषयः-मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के कम में प्रदेश के अस्थायी/स्थायी गो आश्रय स्थलों के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु विशेष दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु कृत संकल्पित है। इस हेतु उ०प्र० के समस्त ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02.01.2019 द्वारा किया गया है। अग्रेतर उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 28.01.2019 द्वारा परामर्शी मार्ग निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-3256/सैंतीस-2-2019-30(4)/2019 दिनांक 08.08.2019 द्वारा 'मा० मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' का प्रख्यापन किया गया है। महिलाओं, बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-4938/सैंतीस-2-2020-30(4)/19 दिनांक 12.09.2020 द्वारा मा० मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों के पात्र एवं इच्छुक परिवारों को जिले में स्थापित एवं संचालित विभिन्न गो आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. गो आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य प्रतिपशु प्रतिदिन के आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु यह निर्णय लिया गया है कि राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि में कुछ अंश पूल कर जिस ग्राम पंचायत में गो आश्रय स्थल स्थापित है, के साथ शेयर किये जाने तथा इस निमित्त उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-16ए के अधीन व्यवस्था की जाये। उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-16ए में यह व्यवस्था है कि ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं और कार्यों को जो कि उसकी अधिकार सीमा के बाहर स्थित हो, ऐसी सहायता दे सकती हो, जो कि राज्य सरकार साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा दे। उक्त के कम में पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1347/33-3-2022, दिनांक 03.07.2022 द्वारा ग्राम पंचायत में स्थापित गो आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

3. निराश्रित गोवंश/दुर्घटना ग्रस्त बड़े पशुओं को परिवहन हेतु कैटल कैचर/मल्टी परपज वेहिकल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1854/33-2-2022-5913/2019, दिनांक 03.08.2022 में यह व्यवस्था है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की आवश्यकतानुसार कैटिल कैचर/मल्टीपरपज वेहिकल वाहन का क्रय कर सकते है अथवा किराये पर रख सकते है। उक्त के अतिरिक्त इस पूरे कार्य को भी आउट्सोर्स प्रति पशु के दर पर करते हुए संचालित किया जा सकता है। जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा इस पर आने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग/स्वयं की आय से वहन किया जा सकता है।

4 निराश्रित गोवंश का शत-प्रतिशत संरक्षण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-822/सैंतीस-2-2022-5(53)/2018टी0सी0-1, दिनांक 01.06.2022 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि अस्थायी गो आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु स्थल चयन कर निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाये। यह

कार्य मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण (convergence) से कराया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्रश्नगत स्थल land एवं location के अनुसार समुपयुक्त हो। प्रत्येक चिन्हित स्थल के अन्तर्गत एक कैचमेन्ट ऐरिया का निर्धारण कराया जाय, जिनमें ग्राम पंचायतें स्पष्ट रहें। यह कैचमेन्ट एरिया स्थानीय निराश्रित गोवंश की संख्या के अनुरूप निर्धारित की जाय यथा 5 से 10 ग्राम पंचायतें, जिससे कि इस कैचमेन्ट एरिया में यदि निराश्रित गोवंश मिलता है तो उसे सम्बन्धित आश्रय स्थल पर संरक्षित किया जा सके।

5 गो आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबन्धन को सुगम बनाये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–80 सी०एम०/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018 टी0सी0–6. दिनांक 18.04.2023 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि गोवश आश्रय स्थलों/सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबन्धन डी०बी०टी० (DBT) के माध्यम से किया जाय। शारानादेश संख्या–1538/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018 टी०सी०–6, दिनांक 11.07.2023 द्वारा डी०बी०टी० (DBT) के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण किये जाने की प्रकिया में तेजी लाये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

6. प्रदेश में सम्प्रति 7642 अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना की गयी है, जिनमें कुल 1214347 गोवंश संरक्षित किये गये हैं। मा० मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत कुल 98552 इच्छुक व्यक्तियों/पशुपालकों को 152425 गोवंश सुपुर्दगी में दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में कुल 522 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी है. जिनमें 334 क्रियाशील केन्द्रों में कुल 129379 गोवंश को संरक्षण कर उनका भरण–पोषण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 75, वित्तीय वर्ष 2023–24 में 99 तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 45 नवीन वृ0गो0सं0के0 की स्वीकृति प्रदान की गई तथा 51 केन्द्रों का निर्गाण पूर्ण कर लोकार्पित/क्रियाशील किया जा चुका है। शासन द्वारा 21 नवीन वृ0गो0सं0के0 की स्वीकृति पुनः प्रदान की गई है। इस प्रकार प्रदेश में स्थायी वृ0गो0सं0के0 की स्थापना का कार्य सतत रूप से जारी है। इन गो आश्रय स्थलों में ग्रामीण क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों को गोबर एवं गोमूत्र से विभिन्न प्रकार के गो उत्पाद जैसे अगरबत्ती, धूपबत्ती, गमले, गोबरलॉग, पंचगव्य, इत्यादि के निर्माण हेतु प्रशिक्षित किया गया है तथा रोजगार के नये अवसर सृजित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन0डी0डी0बी) के सौजन्य से जनपद मुजफ्फरनगर अंतर्गत तुगलकपुर में सी0बी0जी0 प्लांट स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा जनपद मथुरा, ललितपुर, कानपुर नगर, अयोध्या, गौतमबुद्धनगर एवं आगरा के 06 गो आश्रय स्थलों में सी0बी0जी0 उत्पादन इकाईयाँ स्थापित कर गो आश्रय स्थलों को आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान किये जाने की योजना को मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है।

7. निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण–पोषण से सम्बन्धित योजनाओं कार्यक्रमों की जनपदवार अद्यतन रिपोर्ट संलग्न है। उपर्युक्त शासनादेश एवं दिशा–निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने की आवश्यकता है:–

(1) जिलाधिकारी स्तर से प्रत्येक गो आश्रय स्थल की वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध पशु आहार, अवसंरचना के रखरखाव व विस्तारीकरण आदि के माइको मैनेजमेंट (Micro Management) का सधन पर्यवेक्षण किया जाय।

(2) कतिपय जनपदों में गो आश्रय स्थलों पर एस०एफ०सी० (SFC) फण्ड पूलिंग की धनराशि कम हैं और कुछ जनपदों में उक्त धनराशि का उपभोग भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः संलग्न रिपोर्ट का अध्ययन कर गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रही वितीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित पोषण के मध्य आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु एस०ए०फ०सी० (SFC) फण्ड पूलिंग में तेजी लायी जाये एवं उक्त फण्ड का समुचित एवं समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाय। इस निमित्त खण्ड विकास अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाय।

(3) आवश्यकतानुसार कैटल कैचर मल्टीपरपज वेहिकल एवं इसके परिवहन हेतु ट्रैक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों पर बेहतर ढंग से पुनर्वासित किया जा सके। कुछ जनपदों में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में कैटिल कैचर नहीं लिये गये हैं तथा अनेक स्थानों पर ट्राली है परन्तु ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है। इसे सुनिश्चित किया जाये।

(4) निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु यथावश्यकता अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाय और क्रियाशील आश्रय स्थलों में गहन समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शेड आदि की युद्ध स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(5) स्वीकृत किये गये गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाय।

(6) मा० मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत सुपुर्दगारों का सत्यापन विभिन्न विभागों के राजपत्रित अधिकारियों की टीम लगाकर किया जाये। यह बेसलाइन सर्वे (Baseline Survey) अत्यावश्यक है।

(7) स्थानीय ग्रामीणों को ही समुचित मानदेय पर आश्रय स्थलों में कार्य पर रखा जाए तथा ब्लाक स्तरीय सफाई कर्मियों को इस निमित्त न लगाया जाए।

(8) डी०बी०टी० (DBT) व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु आधार सीडिंग, डाटालाकिंग एवं कर्गियों का प्रशिक्षण तेजी से कराया जाए।

8. निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं गो आश्रय स्थलों की स्थिति ज्ञात किये जाने हेतु नामित नोडल अधिकारियों द्वारा समय–समय पर प्रदेश के सभी जनपदों में भेजा जाता रहा है। शासनादेश संख्या–1525/सैतीस–2–2023–5(53)/2018टी.सी. दिनांक 07.07.2023 तथा शासनादेश संख्या–1/467654/2024, दिनांक 10.01.2024 के माध्यम से नोडल अधिकारियों को गो आश्रय स्थलों की संचालन एवं प्रबन्धन के अनुश्रवण हेतु भेजा गया।

9. प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन विभाग, ग्राम विकास, राजस्व विभाग, पंचायती राज तथा नगर विकास विभाग के अन्तर्समन्वय समय–समय पर निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु अभियान चलाये जाते रहे है। शासनादेश संख्या–2562/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018टी.सी–5, दिनांक 31.10.2023 तथा शासनादेश संख्या–1469/सैंतीस–2–2024–5(53)/2018टी.सी–5, दिनांक 04.07.2024 के माध्यम से समस्त अवशेष निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करने हेतु अभियान चलाया गया। पुनः दिनांक 07.12.2024 से 14.12.2024 तक सघन निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है जिससे शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करा लिया जाय।

10. प्रदेश के स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों के भरण–पोषण हेतु गोचर/चरागाह भूमि में हरा चारा उत्पादन किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1189/सैंतीस–2–2024–5(53)/2018टी.सी–5, दिनांक 05.06.2024 के द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये। तत्क्रम में प्रदेश में उपलब्ध कुल 61118 हे0 गोचर भूमि में से 37156 हे0 गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रदेश के 7384 गो आश्रय स्थलों से 8285 हे0 गोचर भूमि को सम्बद्ध करके 5192 हे0 भूमि पर हरा चारा/नैपियर का उत्पादन किया जा रहा है।

11. मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 के क्रम में सूच्य है कि शासनादेश संख्या–1611/सैंतीस–2–2023–1(11)/2022, दिनांक 08.07.2023 के द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत उत्सर्जित जैव चिकित्सा अवशिष्ट के निस्तारण हेतु गाइडलाईन तथा शासनादेश संख्या–2104(1)/सैंतीस–2–2023, दिनांक 30.08.2023 के माध्यम से निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु स्थापित गो आश्रय स्थलों/वृहद गो संरक्षण केन्द्रों में पर्यावरणीय प्रबन्धन हेतु गाइडलाईन्स जारी की गयी है। गाइडलाईन में प्रदत्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

12. प्रदेश के स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों के संचालन एवं प्रबन्धन में सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल ऐक्टिविस्ट, कारपोरेट बॉडीज द्वारा कराये जाने हेतु (MOU तथा EOI के आधार पर) शासनादेश संख्या–2462/सैंतीस–2–2024, दिनांक 29.11.2024 का अनुपालन कराया जाय।

13. सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु राजमार्गो के समीपस्थ ग्रामों के पशुपालकों के गोवंशों के गले में रेडियम पट्टी लगाये जाने के क्रम में शासनादेश संख्या–2102/सैंतीस–3–2024–5(53)/2018टी.सी–5, दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। जिससे रात्रि के समय गोवंश द्वारा सड़क पर विचरण करते समय दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सकता है।

14. वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता न होने की दशा में साइलेज को चारे में उपयोग करने के संबंध में शासनादेश संख्या–2145/सैंतीस–2–2024–5(53)/2018टी.सी–5, दिनांक 22.10.2024 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। जिससे संरक्षित गोवंशों के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते है। अतः साइलेज को चारे के रूप मे उपयोग करने के संबंध मे शासनादेश सं0 2145/37–2–2024–5(53)/2018 टी0सी0–5, दिनांक 22.10.2024 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है जिससे संरक्षित गोवंश स्वास्थ्य मे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। अतः साइलेज का उपयोग गो आश्रय स्थलों में हरे चारे के विकल्प के रूप में अपनाया जाय।

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद "OA संख्या–394/2022, पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी कदौरा (जालौन) व अन्य" के कम में पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 के निहितार्थ उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक– /सामा0–2/एन0जी0टी0/2024–25, तद्दिनांक।

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

ANNEXURE 3

महत्वपूर्ण/गो-सेवा

संख्या 2179/सैतीस-2-2024-5(53)/2018टीसी-5

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 28 अक्टूबर, 2024

विषय-गो आश्रय स्थलों में कार्यरत गो सेवकों/श्रमिकों को गोवंश के भरण-पोषण एवं प्रबन्धन के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार का दृढ संकल्प है। इस हेतु शासनादेश संख्या 4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02-01-2019 द्वारा अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। उक्त नीति अन्र्तगत प्रदेश के 7,604 गो आश्रय स्थलों में 12,10,647 गोवश संरक्षित है। इन गोवशों के भरण-पोषण तथा देखभाल हेतु 21,884 गो सेवक/श्रमिक कार्य कर रहे हैं। संरक्षित गोवंशों की देखभाल तथा खान-पान की व्यवस्था अत्यत संवेदनशील है तथा किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही से दुर्घटनाओं की सम्भावना बढ़ जाती है। निराश्रित गोवश संरक्षण कार्यक्रम के संचालन में गो सेवको/श्रमिकों की महती भूमिका के दृष्टिगत उन्हे गोवशो के रखरखाव के सम्बंध में व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

2- सम्यक विचारोपरान्त गो आश्रय स्थलों में कार्यरत गो सेवकों/श्रमिकों को गोवंश के भरण-पोषण एवं प्रबन्धन के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रशिक्षण माड्यूल-

स्थान-

दिनांक	प्रशिक्षण विषय	विषय विशेषज्ञ
जनपदों द्वारा तिथि निर्धारित करते हुये, 10 नवम्बर तक	बीमार तथा अशक्त पशु की पहचान घायल पशु का प्राथमिक उपचार।	स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
	गोवंश की प्रमुख बीमारियों, उनकी पहचान तथा रोकथाम हेतु टीकाकरण एवं अन्य सावधानी।	
	गोवंश को दिये जाने वाले चारे की गुणवत्ता तथा खानपान में बरती जाने वाली सावधानी।	

सम्पादित कराया जाए।	चारे के कारण उत्पन्न होने वाली विषाक्तता की पहचान तथा पाथमिक उपचार।	
	मृत गोवंशों का शव निस्तारण की मानक प्रक्रिया की जानकारी।	

नोट- विकास खण्ड स्तर पर उपरोक्त तिथियों में प्रत्येक गो आश्रय स्थल से 50 प्रतिशत गो सेवकों का प्रशिक्षण पहले दिन तथा शेष 50 प्रतिशत गो सेवकों को प्रशिक्षण दूसरे दिन कराया जाय, जिससे गो आश्रय स्थल का कार्य प्रभावित न हो।

<u>गो-सेवकों की दैनन्दिली-</u>

समय	निर्धारित कार्य
प्रातः 05:30 से 06:30 वजे	गो आश्रय स्थल का भ्रमण कर बीमार व अशक्त गोवंशों को पृथक करना एवं उपचार हेतु प्रधान/सचिव/पशुचिकित्साधिकारी को यथास्थिति से अवगत कराना।
प्रातः 06:30 वजे से 07:30 वजे	गोवंश के चारे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना।
प्रातः 07.30 वजे से 08.30 वजे	पशु शेड से गोवर एकत्र कर कम्पोस्ट पिट में डालना।
प्रातः 08.30 वजे से 09.30 वजे	अल्प अवकाश।
प्रातः 09.30 वजे से 11.00 वजे	हरे चारा की कुट्टी काटना तथा अन्य कार्य।
सायं 04.00 वजे से 05.00 वजे	शेड से गोवर हटाना।
सांय 05.00 वजे से 06.00 वजे	गोवंशों को चारा एवं पानी की व्यवस्था करना।
सांय 06.00 वजे से 07.00 वजे	गो आश्रय स्थल का सायंकालीन भ्रमण कर, बीमार एवं अशक्त गोवंशों को चिन्हित कर पृथक करना।

नोट- उपरोक्त दैनंदिनी चार्ट प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर चस्पा किया जाये।

(1) गो सेवक द्वारा प्रातः काल एवं सायंकाल गो आश्रय स्थल का गहन रूप से निरीक्षण कर बीमार, अशक्त तथा मृत गोवंशों की जानकारी एकत्र की जाये।

(2) गो सेवकों द्वारा बीमार व अशक्त गोवंश को उपचार हेतु अलग (Segregate) किया जाए।

(3) गो सेवक द्वारा प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से उपचार हेतु तत्काल दूरभाष से सूचित किया जाये।

(4) घायल गोवंश को प्राथमिक उपचार का व्यवहारिक ज्ञान/परीक्षण गो सेवक को दिया जायेगा, जिससे उसके द्वारा तात्कालिक प्राथमिक उपचार दिया जा सके।

(5) संरक्षित गोवंशों के शरीर पर वाह्य परजीवी जैसे- जूं किलनी की पहचान तथा उनसे फैलने वाले रोगों तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के विषय में प्रत्येक गो सेवक को जानकारी दी जाये।

(6) गो सेवक द्वारा वाह्य परजीवी के प्रकोप को रोकने के लिये पशुशेड में कीटनाशक के सुरक्षित प्रयोग व छिडकाव के संबंध में प्रशिक्षित किया जाये। पशुशेड में पंद्रह दिन में एक बार कीटनाशकों का छिडकाव/स्प्रे किया जाये।

(7) गो सेवक द्वारा गोवंशों को भूसा गोदाम से भूसा निकालते समय यह ध्यान दिया जाये कि भूसे से किसी प्रकार की अस्वाभाविक गंध/दुर्गध तो नहीं आ रही है। यदि भूसा भीगा हुआ एवं फफूंदी युक्त है तो उसे कदापि नहीं दिया जाना चाहिए।

(8) गो सेवक द्वारा हरे चारे को नांद में डालने अथवा कुट्टी काटने से पहले ध्यान दिया जाये कि-

(क) यदि हरे चारे से किसी भी प्रकार की असामान्य दुर्गंध आ रही है तो इस प्रकार के चारे की फसल में कीटनाशक के प्रयोग की संभावना रहती है। अतः इस प्रकार के संदिग्ध चारे को कदापि गोवंश को न दिया जाय।

(ख) चरी, ज्वार तथा बाजरा को चारे के रूप में प्रयोग करने से पूर्व चारा आपूर्तिकर्ता से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि चारे की कटाई से कम से कम तीन दिन पूर्व फसल में सिंचाई की गयी थी अथवा नहीं। यदि फसल में यूरिया तथा नाइट्रेट जैसे रसायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया है तो ऐसे चारे को चार-पांच दिन बाद ही काट कर पशुओं को खिलाया जाये, जिससे नाइट्रेट/नाइट्राइट विषाक्तता का खतरा उत्पन्न न हो।

(ग) गो सेवक द्वारा गोवंशों को चारा डालने के पश्चात कम से कम एक घंटा गहनतापूर्वक शेड में निरीक्षण किया जाये तथा इस दौरान गोवंशों में किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण पाये जाने पर तत्काल ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव तथा संबंधित पशुचिकित्साधिकारी को सूचित किया जाए।

(घ) हरे चारे की कुट्टी को भूसे/साइलेज के साथ 1:4 के अनुपात में मिलाकर दिया जाए।

(ड) कमजोर तथा अशक्त गोवंशों को गो सेवकों द्वारा अलग करके फीडिंग करायी जाए।

(च) उग्र तथा बलशाली सांड़ तथा अन्य गोवंश जो चारे के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा अन्य गोवंशों को चारा खाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें गो सेवक द्वारा पृथक किया जाए।

(छ) प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर आहार एवं चारे का स्टॉक बोर्ड बनाकर लगाया जाये जिस पर चारे तथा पशु आहार के स्टॉक की उपलब्धता तथा खपत का विवरण दैनिक रूप से अंकित किया जाए।

चारा/पशु आहार स्टॉक बोर्ड

दिनांक...............

क्र0 सं0	दिनांक	संरक्षित गोवंश संख्या	उपभोग विवरण							
			भण्डार में उपलब्ध मात्रा				दैनिक उपयोग			अन्तिम अवशेष
			चारे का प्रकार	गत दिवस अवशेष	प्राप्त	योग	सुबह	शाम	कुल खपत	
1			भूसा (कु0)							
2			हरा चारा (कु0)							
3			चोकर (कि0ग्रा0)							
4			पशु आहार (कि0ग्रा0)							
5			नमक (कि0ग्रा0)							
6			गुड़ (कि0ग्रा0)							
7			अन्य							

नोट- उपरोक्त स्टाक बोर्ड संबंधित पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा दैनिक रूप से भरा जाए।

(9) गो सेवकों द्वारा चरही में प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल बोरिंग से भरा जाए। पानी में असमान्य रंग तथा दुर्गन्ध पाये जाने पर उसे गोवंशों को पीने हेतु कदापि न दिया जाए।

(10) गो सेवक द्वारा किसी भी अजनबी अथवा बाहरी व्यक्ति को गो आश्रय स्थल में प्रवेश करने से रोका जाए। जब तक संबंधित व्यक्ति की पहचान, भ्रमण तथा कार्य का औचित्य स्पष्ट न हो जाए।

(11) गो सेवक द्वारा दैनिक भ्रमण के दौरान गो आश्रय स्थल के तार-बाड़/बाउंड्रीवाल में किसी प्रकार की क्षति पाये जाने पर उसे ठीक कराये जाने हेतु तत्काल संबंधित कर्मचारी, अधिकारी को सूचित किया जाये।

(12) गो सेवकों द्वारा किसी गोवंश के मृत हो जाने पर यथाशीघ्र गो आश्रय स्थल से निकाल कर ट्रॉली इत्यादि पर गोवंश के शव को लादकर सुरक्षित एवं सम्मानीय ढंग से शव निस्तारण स्थल पर पहुंचाया जाए। तत्पश्चात ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव द्वारा शव को 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया जाए। गोवंश के शव को किसी भी दशा में घसीटा न जाए तथा शव को जंगली जानवरों द्वारा आहार बनाये जाने अथवा क्षत-विक्षत करने से रोका जाना चाहिये।

(13) गोवंशों को कृमिनाशक दवापान कराने से पूर्व गो सेवक द्वारा पशुचिकित्साधिकारी से दवा की ऐक्सपायरी, गुणवत्ता तथा डोज के बारे में जानकारी अवश्य कर ली जाए।

(14) गोवंशों को टीकाकरण के पश्चात किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण पाये जाने पर गो सेवक द्वारा पशुचिकित्साधिकारी को तत्काल सूचित किया जाए, जिससे समय रहते उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सके।

(15) आकस्मिक सेवा हेतु प्रयुक्त एम0वी0यू0 अपने दौरे के दौरान मार्ग में पड़ने वाले गो आश्रय स्थलों का भ्रमण, निरीक्षण एवं गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण करें तथा नियमित रूट

वाली एम0वी0यू0 भी मार्ग में पडने वाले तथा जिस गांव में कैम्प कर रही हैं, उसमें पडने वाले गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण एवं गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए।

(16) पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं गो-आश्रय स्थल पर जाकर प्रशिक्षण देंगें, गो सेवकों/श्रमिकों को कहीं और न बुलाया जाए। प्रशिक्षण में संबंधित पशुधन प्रसार अधिकारी भी रहेंगें।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Devendra Kumar Pandey
Date: 28-10-2024 10:27:44

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 2179(1)/सैतीस-2-2024 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।

4- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0शासन।

5- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

6- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।

7- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

9- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।